संख्या-120/2024/2780/30-3-24-17बी/2016

प्रेषक,

केoपीo सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 14 नवम्बर, **2024**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये अनुदान संख्या-43 के अंतर्गत राजस्व पक्ष की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण योजना हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के संशोधनोपरान्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1671ए/2024-30ए/2024, दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये अनुदान संख्या-43 के अंतर्गत राजस्व पक्ष की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण योजना हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधानित धनराशि की वित्त विभाग द्वारा विद्यमान व्यवस्था में किये गये संशोधन के दृष्टिगत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या-बी-1-753/दस-2024-12(2)/2024(II), दिनांक 21 अगस्त, 2024 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये अनुदान संख्या-43 के अंतर्गत राजस्व पक्ष की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण योजना हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधानित धनराशि की विद्यमान व्यवस्था के संशोधनोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल योजना मानक मद संख्या-15 गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में प्राविधानित धनराशि रू0 60.00 लाख (रू0 साठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर कतिपय शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनॉक 04-03-2024 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, साथ ही क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-2573एस0पी0/18-07-76(एस0पी0)/86, दिनॉक 08-01-1992, पत्र संख्या-2177/18-07-94-15(एस0पी0)-92 दिनॉक 17-10-94, पत्र संख्या-2275/18-05-98-15 (एस0पी0)-92टीसी, दिनॉक 07-12-98, पत्र संख्या-708/18-05-98-15(एस0पी0)-92, दिनॉक 08-01-94, पत्र संख्या-2917/18-05-2000-49 (एस0पी0)-2000, दिनॉक 20-12-2000 तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो, वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि टुकड़ों में व्यय किये जाने से बचा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-120/2024/2780(1)/30-3-2024, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।